भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1071
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

अजा/अजजा के लिए आरक्षण

1071. श्रीमती संजना जाटव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सभा और विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का राज्य सभा और विधानसभाओं में उक्त श्रेणियों को आरक्षण प्रदान करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : नहीं ।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) : संविधान का अनुच्छेद 80 *अन्य बातों के साथ-साथ* यह उपबंध करता है कि राज्य सभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि मत पहले सबसे पसंदीदा उम्मीदवार को आवंटित किए जाते हैं और फिर अगले पसंदीदा उम्मीदवार को और इसी तरह आगे भी, इसलिए यह प्रणाली किसी विशेष समूह के लिए निश्चित संख्या में सीटें आरक्षित करने के सिद्धांत को समायोजित नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त,

संविधान का अनुच्छेद 171 जो विभिन्न राज्यों में विधान परिषदों के गठन और सदस्यों के निर्वाचन का उपबंध करता है, विधान परिषदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करता है । इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 जो क्रमशः लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध करते हैं , वे भी राज्य सभा या विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं ।

(घ) : राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । जहाँ तक विधान सभाओं में उक्त श्रेणियों के लिए आरक्षण की स्थिति का प्रश्न है, तो संविधान के अनुच्छेद 332 के अधीन इसका उपबंध है।

(ङ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

****